न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा (बुलन्दशहर)।
सत्र वाद संख्या : 18/2023
सरकार बनाम रफीक उर्फ पतंगा उर्फ सलमान।

<u>दिनांकः 20.03.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त रफीक उर्फ पतंगा उर्फ सलमान गैर हाजिर।

अभियुक्त रफीक उर्फ पतंगा उर्फ सलमान के विरूद्ध गैर जमानती वारन्ट एवं प्रकिया धारा 82 व 83 दं0प्र0सं0 निर्गत है। कई बार प्रकियायें जारी की जा चुकी है किन्तु अभियुक्त का पता नहीं लग रहा है। जमानतदार पुष्पा एवं राधा पर नोटिस तामील होने के बाद भी जमानतदार उपस्थित नहीं आ रहे है। अतः जमानतदार पुष्पा पत्नी वीरपाल एवं राधा पत्नी मोहन निवासी ग्राम रोहिन्दा थाना अरनियां जिला बुलन्दशहर के विरूद्ध धारा 446 दं0प्र0सं0 के तहत पृथक से प्रकीर्ण वाद पंजीकृत किया जाये तथा जमानत राशि मु0 40,000/—रूपये की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

पत्रावली दिनांक 05.04.2025 को हाजिरी मुल्जिम हेतु पेश हो। अभियुक्त रफीक उर्फ पतंगा उर्फ सलमान के विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 तथा धारा 83 दं0प्र0सं0 की प्रकिया जारी हो।

(दिलीप कुमार सचान)
दिनांक—20.03.2025 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
खुर्जा (बुलन्दशहर)

राजकुमार शर्मा—आशुलिपिक।

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2025.03.21 10:40:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court